//प्रेस विज्ञप्ति//

व्यापार अनुज्ञापन नियम 2025 अनुपालन के संबंध में

भिलाई नगर :– छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 07 नवम्बर 2025 प्रकाशित अधिसूचना क्रं. RULE-801/202/2025-UAD - छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम अधिनियम 1956 (क्रं. 23 सन 1956) की धारा 132 की उपधारा (6) के खंड (ग) सहपठित धारा 433 तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रं. 37 सन 1961) की धारा 127 की उप–धारा (6) के खंड (ग) सहपठित धारा 355 तथा 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, नगरपालिक क्षेत्र के सीमाओं के भीतर व्यापार करने के विनिमय के लिए छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) अनुसार अनुज्ञप्ति शुल्क एवं प्रारुप–क एवं प्रारुप–ख निर्धारित किया गया है।

उपरोक्त नियम के अंतर्गत कंडिका 05 (क) की तालिका 01 एवं 02 के अनुसार निकाय क्षेत्रान्तर्गत मोहल्ला/कालोनी के बाजार के छोटे एवं मध्यम आकार के बाजार/वृहद बाजार की सूची नोटिस बोर्ड सूचना पटल में चस्पा की गई है। कृपया आम नागरिक एवं व्यापारी गण को को सूचित किया जाता है कि नगर पालिक निगम भिलाई की वेबसाईट https://bhilainagarnigam.com/ में देखा जा सकता है तथा नगर पालिक निगम भिलाई के मुख्य कार्यालय के नोटिस बोर्ड सूचना पटल में चस्पा किये गये बाजार की सूची एवं छ.ग. राजपत्र में निर्धारित किये गये प्रारुप–क, ख एवं निर्धारित दर का अवलोकन किया जा सकता है।

अनुज्ञापन अधिकारी

नगरपालिक निगम भिलाई

मूलभूत जानकारी		
क्रमांक	विवरण	जानकारी
1	नगरीय निकाय का नाम (नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत)	नगरपालिक निगम भिलाई
2	जिला	दुर्ग
3	कुल वार्डों की संख्या	70
4	नाम एवं पदनाम– नोडल अधिकारी	श्री जावेद अली, स्वास्थ्य अधिकारी
5	संपर्क नंबर एवं ई–मेल	7000830329 Bhilai-Nagar-Nigam@cg.gov.in
6	अधिसूचित बाजारों की कुल संख्या	64
7	अधिसूचित सड़कों/मार्गों की कुल संख्या	131
8	व्यवसाय की कुल श्रेणियाँ	197
9	बैंक खाता में दर्शित नाम	Commissioner Municipal Corporation Supela Bhilai
10	बैंक का नाम	Indian Bank
11	शाखा का नाम	Supela Bhilai
12	खाता कमाक	50026191902
13	खाते का प्रकार (चालू खाता/बचत खाता)	बचत खाता
14	IFSC कोड	IDIB000S798
15	मुख्य नगरपालिका अधिकारी/आयुक्त का नाम	श्री राजीव कुमार पाण्डेय (आयुक्त)
16	मुख्य नगरपालिका अधिकारी/आयुक्त का संपर्क क्रमांक	9425649105
17	रिमार्क	–

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

अधिसूचित सड़कें / मार्ग

क्र.	वार्ड क्र.	सड़क की चौड़ाई (7.5 मीटर से कम / 7.5 मीटर स 15 मीटर तक / 15 मीटर से अधिक)	सड़क / मार्ग का नाम	क्षेत्र का प्रकार (आवासीय / व्यावसायिक / मिश्रित	चौड़ाई (मीटर में)	रिमार्क
1	1	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	सुर्या माल चौक से चिखली रोड तक	मिश्रित	10	-
2	2	7.5 मीटर से कम	जुनवानी पेट्रोल पम्प से खम्हरिया भाठा तक	मिश्रित	5	-
3	2	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	पेट्रोल पम्प से जुनवानी चौक तक	मिश्रित	10	-
4	2	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	सुर्या माल चौक से चिखली रोड	मिश्रित	10	-
5	2	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	स्मृति नगर चौंक से पंचमुखी चौक तक	मिश्रित	10	-
6	2	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	स्मृति नगर सोसायटी मार्कट क्षेत्र	मिश्रित	10	-
7	2	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	चौहान टाउन के भितर कार्मशियल क्षेत्र	मिश्रित	10	-
8	3	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	शिवाजी चौक से मेड बेकरी तक	मिश्रित	10	-
9	3	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	मेड बेकरी से सुर्या माल चौक	मिश्रित	10	-
10	3	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	सुर्या माल चौक से परिया पारा नाला तक	मिश्रित	10	-
11	3	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	पंचमुखी मंदिर से वाई. के.सिंग घर तक	मिश्रित	10	-
12	3	7.5 मीटर से कम	वाई. के.सिंग घर से रस्तोगी कालेज तक	मिश्रित	5	-
13	3	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	वाई. के.सिंग घर से शिवाजी चौक तक	मिश्रित	10	-
14	4	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	गुरूद्वारा चौक से खन्ना मेडम लाईन तक	मिश्रित	10	-
15	4	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	दुर्गा मंदिर चौक से लेकर मेड बेकरी तक	मिश्रित	10	-
16	4	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	अग्रसेन चौक से धनवंत्री हास्पीटल तक	मिश्रित	10	-

क्रं.	वार्ड क्रं.	सड़क की चौड़ाई (7.5 मीटर से कम / 7.5 मीटर स 15 मीटर तक / 15 मीटर से अधिक)	सड़क / मार्ग का नाम	क्षेत्र का प्रकार (आवासीय / व्यावसायिक / मिश्रित	चौड़ाई (मीटर में)	रिमार्क
17	4	7.5 मीटर से कम	केपीएस स्कूल से समता उद्यान मार्ग तक	मिश्रित	5	-
18	4	7.5 मीटर से कम	नेहरू नगर व्हाईट हाउस मार्ग	मिश्रित	5	-
19	4	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	मेड बेकरी से शिवाजी चौंक होते हुए बुनियाद काम्प्लेक्स	मिश्रित	10	-
20	5	7.5 मीटर से कम	टोल प्लाजा से शासकीय प्राथमिक शाला तक (राधा कृष्ण मंदिर सांस्कृतिक मंच)	मिश्रित	5	-
21	5	7.5 मीटर से कम	सुलभ शौचालय से कृष्णा डेयरी तक (साप्ताहिक बाजार आंगन बाडी सुलभ शौचालय जगन्नाथ मंदिर)	मिश्रित	5	-
22	5	15 मीटर से अधिक	टोल प्लाजा मेन रोड से जीम गार्डन तक	मिश्रित	30	-
23	5	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	शिवाजी चौक से माडल टाउन	मिश्रित	10	-
24	5	7.5 मीटर से कम	गांधी नगर शिव मंदिर दुर्गा मंदिर मैदान	मिश्रित	5	-
25	6	15 मीटर से अधिक	टोल नाका से यातायात पुलिस परिसर तक	मिश्रित	30	-
26	6	7.5 मीटर से कम	प्रियदर्शनीय परिसर अण्डर ब्रीज से फौव्वारा चौंक तक	मिश्रित	5	-
27	6	7.5 मीटर से कम	ग्राण्ड ढिल्लन के पिछे का क्षेत्र	मिश्रित	5	-
28	6	7.5 मीटर से कम	निरंकारी काम्प्लेक्स के आस पास का क्षेत्र	मिश्रित	5	-
29	6	15 मीटर से अधिक	लोहिया पेट्रोल पम्प से सुपेला चौंक तक	मिश्रित	30	-
30	7	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	सलाटर हाउस से गांधी चौंक तक	मिश्रित	10	-
31	7	7.5 मीटर से कम	गांधी विद्या पिठ के पास व्यवसायिक परिसर	मिश्रित	5	-

	वार्ड क्रं.	सड़क की चौड़ाई (7.5 मीटर से कम/ 7.5 मीटर स 15 मीटर तक / 15 मीटर से अधिक)	सड़क / मार्ग का नाम	क्षेत्र का प्रकार (आवासीय / व्यावसायिक / मिश्रित	चौड़ाई (मीटर मे)	रिमार्क
32	8	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	चौरसिया फ़ेब्रीकेशन के पास से गांधी चौक तक	मिश्रित	10	-
33	8	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	मिनी माता चौक से गांधी चौक तक	मिश्रित	10	-
34	9	7.5 मीटर से कम	गदा चौक से निजामी चौक	मिश्रित	5	-
35	9	7.5 मीटर से कम	निजामी चौक आत्मानंद स्कूल	मिश्रित	5	-
36	9	7.5 मीटर से कम	निजामी चौक से गणेष चौक	मिश्रित	5	-
37	9	7.5 मीटर से कम	नुर मस्जिद से निजामी चौंक	मिश्रित	5	-
38	10	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	घडी चौंक से गदा चौंक	मिश्रित	10	-
39	11	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	गद्दा चौक से आवंती बाई चौक तक	मिश्रित	10	-
40	11	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	अवंती चौंक से सिरसा रोड	मिश्रित	10	-
41	11	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	अवंती चौंक से जुनवानी रोड	मिश्रित	10	-
42	11	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	ईदगाह चौंक से जुनवानी नाला	मिश्रित	10	-
43	12	7.5 मीटर से कम	कर्माभवन से आर्य नगर दुर्गा मंदिर	मिश्रित	5	-
44	13	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	अवंती चौंक से सिरसा रोड	मिश्रित	10	-
45	13	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	अवंती चौंक से कुरूद रोड	मिश्रित	10	-
46	17	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	घड़ी चौक से रेलवे फाटक	मिश्रित	10	-
47	17	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	घड़ी चौक से गदा चौंक मार्ग	मिश्रित	10	-
48	17	15 मीटर से अधिक	मुख्य कार्यालय से घडी चौंक	मिश्रित	30	-
49	18	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	मौर्या टाकिज चौक से लेकर स्पर्श हास्पिटल चौक तक 1 साईड	मिश्रित	10	-
50	18	15 मीटर से अधिक	मौर्या टाकिज चौक से डा रतन तिवारी लाईन तक	मिश्रित	30	-
51	18	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	डा रतन तिवारी लाईन से कोल डीपो तक	मिश्रित	10	-
52	18	15 मीटर से अधिक	चंद्रा मौर्या चौंक से मुख्य कार्यालय तक	मिश्रित	30	-

क्र.	वार्ड क्र.	सड़क की चौड़ाई (7.5 मीटर से कम/ 7.5 मीटर स 15 मीटर तक / 15 मीटर से अधिक)	सड़क / मार्ग का नाम	क्षेत्र का प्रकार (आवासीय / व्यावसायिक / मिश्रित	चौड़ाई (मीटर में)	रिमार्क
53	14	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	दशहरा मैदान हनुमान मंदिर से कुरुद रोड हनमान मंदिर तक	मिश्रित	15 मी	—
54	14	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	अवंती बाई चौक से सद्भावना चौक तक	मिश्रित	15 मी	—
55	14	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	अवंती बाई चौक से इंदू आई टी स्कूल तक तक	मिश्रित	15 मी	—
56	15	15 मीटर से अधिक	सद्भावना चौक से इंदिरा चौक	मिश्रित	18 मी	—
57	15	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	इंदिरा चौक से परदेशी चौक	मिश्रित	15 मी	—
58	15	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	इंदिरा चौक से शारदा स्कूल तक	मिश्रित	10 मी	—
59	16	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	गदा चौक से पुराना मछली मार्केट तक सुपेला	मिश्रित	15 मी	—
60	16	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	पुराना मछली मार्केट से रावण भाठा तक	मिश्रित	10 मी	—
61	16	7.5 मीटर से कम	दुबे पशु आहार से परदेशी चौक	मिश्रित	06 मी	—
62	16	7.5 मीटर से कम	दुबे पशु आहार से गदा चौक चौक	मिश्रित	06 मी	—
63	19	7.5 मीटर से कम	शारदा विधालय से हेमुकल्याणी चौक	मिश्रित	06 मी	—
64	19	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	शास्त्री चौक से गायत्री मंदिर तक	मिश्रित	10 मी	—
65	20	7.5 मीटर से कम	गोल मार्केट से हेमुकल्याणी चौक	मिश्रित	06 मी	—
66	20	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	हेमूकल्याणी चौक से जय हिन्द चौक गौरव पथ रोड	मिश्रित	15 मी	—
67	21	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	कालीबाड़ी चौक से भगवा चौक कैलाश नगर	मिश्रित	15 मी	—
68	21	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	भगवा चौक कैलाश नगर से इंदू आई. टी. स्कूल तक	मिश्रित	15 मी	—
69	22	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	रुगंटा कालेज से शितला तालाब तक कुरुद बस्ती	मिश्रित	15 मी	—
70	22	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	हनुमान मंदिर से शितला तालाब तक	मिश्रित	10 मी	—
71	22	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	घासीदास नगर तालाब से हनुमान मंदिर कुरुद तक	मिश्रित	15 मी	—

	वार्ड कं.	सड़क की चौड़ाई (7.5 मीटर से कम/ 7.5 मीटर स 15 मीटर तक / 15 मीटर से अधिक)	सड़क / मार्ग का नाम	क्षेत्र का प्रकार (आवासीय / व्यावसायिक / मिश्रित	चौड़ाई (मीटर में)	रिमार्क
72	23	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	घासीदास नगर तालाब से जामुल बोगदा पुलिया तक	मिश्रित	15 मी	–
73	23	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	एसीसी चौक से जामुल बोगदा पुलिया तक	मिश्रित	15 मी	–
74	24	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	कालीबाड़ी चौक से सुभाष चौक तक	मिश्रित	15 मी	–
75	24	7.5 मीटर से कम	क्रिक्रेट ग्रांउण्ड से अटल चौक तक	मिश्रित	06 मी	–
76	25	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	जय हिन्द चौक से ओम शांती ओम चौक तक	व्यावसायिक	15 मी	–
77	25	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	गौरव पथ इंदिरा गांधी कालेज मोड़ से दारु भट्ठी रोड तक	मिश्रित	12 मी	–
78	26	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	जय हिन्द चौक से आजाद चौक तक राम नगर	मिश्रित	10 मी	–
79	26	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	जय हिन्द चौक गौरव पथ से गुरुद्वारा गेट तक	मिश्रित	15 मी	–
80	27	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	पापुलर सायकल स्टोर्स से साक्षरता चौक तक शास्त्री नगर	मिश्रित	15 मी	–
81	27	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	आंनद गावेली से तीन दर्शन मंदिर तक जी ई रोड	मिश्रित	15 मी	–
82	27	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	तीन दर्शन मंदिर से नेहरु चौक तक 18 न. रोड	मिश्रित	15 मी	–
83	27	7.5 मीटर से कम	नेहरु चौक से शास्त्री चौक शास्त्री नगर 18 न. रोड	मिश्रित	06 मी	–
84	28	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	नेहरु चौक 18 न. रोड से संग्राम चौक रोड़ गौरव पथ रोड	मिश्रित	15 मी	–
85	29	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	18 न. रोड़ संग्राम चौक से पोट्टू रामलू चौक	मिश्रित	15 मी	–
86	29	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	पोट्टू रामलू चौक से जय हिन्द चौक गौरव पथ रोड	मिश्रित	15 मी	–
87	30	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	बसंत टॉकीज से तीन दर्शन मंदिर तक	मिश्रित	15 मीटर	–

क्र.	वार्ड क्र.	सड़क की चौड़ाई (7.5 मीटर से कम/ 7.5 मीटर स 15 मीटर तक / 15 मीटर से अधिक)	सड़क / मार्ग का नाम	क्षेत्र का प्रकार (आवासीय / व्यावसायिक / मिश्रित	चौड़ाई (मीटर में)	रिमा
88	30	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	होतवानी से जोन ऑफीस चन्द्रा मौर्या टॉकीज तक	मिश्रित	15 मीटर	–
89	30	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	तीन दर्शन मंदिर से जिया मडिकल तक	मिश्रित	10 मीटर	–
90	31	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	जिया मेडीकल से पोट्रालू चौक तक ओम शांति चौक बिजली ऑफीस तक	मिश्रित	15 मीटर	–
91	32	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	बैकुण्ठधाम से मांगलिक भवन तक	मिश्रित	10 मीटर	–
92	33	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	मांगलिक भवन से छावनी चौक से तेल्हा नाला तक	मिश्रित	15 मीटर	–
93	36	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	सर्विस रोड अम्बेडकर मुर्ति से शिवम कार श्रृंगार तक	मिश्रित	15 मीटर	–
94	37	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	नंदिनी रोड अम्बेडकर मुर्ति से करूणा हॉस्पीटल तक	मिश्रित	10 मीटर	–
95	38	15 मीटर से अधिक	पावर हाउस ओवरब्रिज से बस स्टैण्ड, पावर हाउस तक	मिश्रित	20 मी	–
96	38	15 मीटर से अधिक	अम्बेडकर चौक से जीरो प्वाईट केनाल रोड तक, नंदिनी रोड	मिश्रित	20 मी	–
97	39	15 मीटर से अधिक	देना बैंक से करूणा अस्पताल तक, नंदिनी रोड	मिश्रित	20 मी	–
98	40	15 मीटर से अधिक	करूणा हॉस्पिटल से एसीसी चोक तक, नंदिनी रोड	मिश्रित	20 मी	–
99	40, 41	15 मीटर से अधिक	छावनी चाक से तिरंगा चाक तक	मिश्रित	20 मी	–
100	46	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	मस्जिद से गणेश मंदिर तक	मिश्रित	10 मी	–
101	47	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	अग्रसेन द्वार से संगम चौक तक, पं. जवाहर लाल नेहरू शासकीय स्कूल के आस–पास	मिश्रित	10 मी	–
102	48	15 मीटर से अधिक	शिव मंदिर से सड़क नं 3 तक	मिश्रित	20 मी	–
103	49	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	वृंदावन होटल से वाटर एटीएम श्रीराम चौक तक	मिश्रित	15 मी	–

49
104
105

	वार्ड क्र.	सड़क की चौड़ाई (7.5 मीटर से कम/ 7.5 मीटर स 15 मीटर तक / 15 मीटर से अधिक)	सड़क / मार्ग का नाम	क्षेत्र का प्रकार (आवासीय / व्यावसायिक / मिश्रित	चौड़ाई (मीटर मे)	रिमार्क
104	49	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	श्रीराम चौक से बजरंग चौक तक	मिश्रित	10 मी	–
105	49	7.5 मीटर से कम	बजरंग चौक से भगत सिंग चौक तक	मिश्रित	07 मी	–
106	50	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	बोल बम चौक से श्रीराम चौक तक	मिश्रित	15 मी	–
107	50	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	श्रीराम चौक से हनुमान मंदिर तक	मिश्रित	10 मी	–
108	51	15 मीटर से अधिक	खुर्सीपार चौक से राम्हेपुर तक	मिश्रित	20 मी	–
109	51	15 मीटर से अधिक	जोन कार्यालय के पास दीनदयाल मार्केट	मिश्रित	20 मी	–
110	57	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	बोरियां	व्यावसायिक	–	बीएसपी क्षेत्र
111	66	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	सिकंदर चौक दशहरा मैंदान	व्यावसायिक	–	बीएसपी क्षेत्र
112	70	15 मीटर से अधिक	मंगल मार्केट सर्विस रोड	व्यावसायिक	–	–
113	70	15 मीटर से अधिक	मिलन चौक हुडको	मिश्रित	–	–
114	70	15 मीटर से अधिक	श्री राम चौक ड़िको	मिश्रित	–	–
115	52	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	सेक्टर–01 ए मार्केट	मिश्रित	9 मीटर	–
116	53	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	सेक्टर–01 सी मार्केट	मिश्रित	9 मीटर	–
117	54	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	सेक्टर–02 ए मार्केट	मिश्रित	12 मीटर	–
118	55	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	सेक्टर–02 बी मार्केट	मिश्रित	12 मीटर	–
119	57	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	सेक्टर–04 मार्केट	मिश्रित	12 मीटर	बुधवार
120	60	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	सेक्टर –5 मार्केट	मिश्रित	9 मीटर	–
121	62	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	सेक्टर –6, ए मार्केट	मिश्रित	9 मीटर	–
122	63	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	सेक्टर –6, बी मार्केट	मिश्रित	9 मीटर	–
123	62	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	सेक्टर –6, सी मार्केट	मिश्रित	9 मीटर	–
124	61	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	सेक्टर –6, डी मार्केट	मिश्रित	9 मीटर	–
125	63	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	सेक्टर –6, ई मार्केट	मिश्रित	10 मीटर	–
126	62	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	सेक्टर –6, एफ मार्केट	मिश्रित	8 मीटर	–
127	68	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	सेक्टर –8 गोल मार्केट	मिश्रित	8 मीटर	–
128	69	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	सेक्टर –9 मार्केट	मिश्रित	12 मीटर	–
129	65	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	सेक्टर –10 जोनल मार्केट	मिश्रित	10 मीटर	–

क्र.	वार्ड क्र.	सड़क की चौड़ाई (7.5 मीटर से कम/ 7.5 मीटर स 15 मीटर तक / 15 मीटर से अधिक)	सड़क / मार्ग का नाम	क्षेत्र का प्रकार (आवासीय / व्यावसायिक / मिश्रित	चौड़ाई (मीटर में)	
130	64	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	सिविक सेंटर मार्केट	मिश्रित	12 मीटर	–
131	64	7.5 मीटर से 15 मीटर तक	न्यू सिविक सेंटर मार्केट	मिश्रित	12 मीटर	–

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

अधिसूचित बाजारों का विवरण

क्र.	वार्ड क्र.	व्यापार परिषद की अवस्थिति (मोहल्ला / कालोनी मे / छोटे और मध्यम आकार के बाजारों में / वृहत बाजारों में)	बाजार / हाट का नाम	लैण्डमार्क / स्थान /प्रमुख स्थल	बाजार का प्रकार (दैनिक / साप्ताहिक / विशेष)	रिमार्क
1	1	मोहल्ला	खम्हरिया बाजार	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के पास खम्हरिया	साप्ताहिक	—
2	1	मोहल्ला	जुनवानी बाजार	जुनवानी चौक	दैनिक	—
3	2	कालोनी	स्मृति नगर बाजार	ई एस आई हास्पिटल के पास	साप्ताहिक	—
4	4	छोटे आकार	नेहरू नगर बाजार	व्यवसायिक परिसर के पास	साप्ताहिक में दो बार	—
5	5	मोहल्ला	कोसा नगर बाजार	सांस्कृतिक मंच से कृष्णा डेयरी तक	साप्ताहिक	—
6	6	मोहल्ला	उत्तर गंगोत्री होज़ियारी मार्केट	उत्तर गंगोत्री सुपेला	दैनिक	—
7	6	वृहत	दक्षिण गंगोत्री सुपेला	दक्षिण गंगोत्री सुपेला	दैनिक	—
8	10	वृहत	लक्ष्मी नगर मटन मार्केट	व्यवसायिक परिसर	दैनिक	—
9	10	वृहत	सण्डे मार्केट मार्केट	तिरंगा बिल्डंग के पास	दैनिक	—
10	10	वृहत	लक्ष्मी नगर सब्जी मार्केट	तिरंगा बिल्डंग के पास	दैनिक	—
11	12	छोटे आकार	सिरसा रोड बाजार	शास. स्कूल के पास	दैनिक	—
12	13	वृहत	मंगर बाजार	पानी टंकी के पास	साप्ताहिक	—
13	13	छोटे आकार	सिरसा रोड बाजार	शास. स्कूल के पास	दैनिक	—
14	17	वृहत	आकाश गंगा सब्जी मार्केट	आकाश गंगा	दैनिक	सोमवार बंद
15	17	वृहत	सुपेला बाजार	हार्डवेयर मार्केट सुपेला	दैनिक	मंगलवार बंद
16	17	वृहत	व्यवसायिक परिसर	आकाश गंगा	दैनिक	मंगलवार बंद
17	18	मोहल्ला	श्रीराम मार्केट	मोर्या टाकिज से परदेशी चौंक	दैनिक	—
18	20	कालोनी	गोल मार्केट	कन्या शाला के पास	साप्ताहिक में दो बार	—
19	22	मोहल्ला	बाजार चौक	दुर्गा मंच के पास	साप्ताहिक	—
20	23	मोहल्ला	करबला मैदान घासीदास नगर	दस दुकान के पास	साप्ताहिक में दो बार	—

क्र.	वार्ड क्र.	व्यापार परिषद की अवस्थिति (मोहल्ला / कालोनी मे / छोटे और मध्यम आकार के बाजारों में / वृहत बाजारों में)	बाजार / हाट का नाम	लैण्डमार्क / स्थान /प्रमुख स्थल	बाजार का प्रकार (दैनिक / साप्ताहिक / विशेष)	
			पौनी पसरी	हा.बोर्ड एस.बी.आई. बैक के पा	साप्ताहिक में दो बार	–
21	24	कालोनी	समृद्धि बाजार	ओम शांति चौक के पास	साप्ताहिक में दो बार	–
22	25	छोटा	सुभाष चौक	राम जानकी मंदिर	साप्ताहिक	–
23	30	मोहल्ला				–
24	36	वृहत बाजार	एप्रोच रोड	बसंत टॉकीज से जलेबी चौक तक	दैनिक	–
25	36	वृहत बाजार	लिंक रोड	जलेबी चौक से राजस्थान होटल तक	दैनिक	–
26	36	वृहत बाजार	फल मण्डी विजय कॉम्प्लेक्स	जसवाल आटा चक्की से फल मण्डी लल्लू पान ठेला	दैनिक	–
27	37	वृहत बाजार	जवाहर मार्केट	स्टार जींस से राधा कृष्णा होटल तक	दैनिक	–
28	37	वृहत बाजार	सर्कुलर मार्केट	करिश्मा गॉरमेंट से राम भरोसे चना भण्डार	दैनिक	–
29	37	वृहत बाजार	सब्जी मण्डी	छन्नू पवार से देवांगन आलू दुकान तक	दैनिक	–
30	37	वृहत बाजार	अनाज मण्डी	चाय दुकान से फल दुकान तक	दैनिक	–
31	37	वृहत बाजार	इंदिरा मार्केट	पॉवर हाउस चौक से होतवानी पार्ट्स तक	दैनिक	–
32	37	वृहत बाजार	मछली मार्केट	निम्बू मिर्ची दुकाने मटका लाईन से मसाला दुकान तक	दैनिक	–
33	37	वृहत बाजार	शितला मार्केट	शितला मंदिर से गुरूद्वारा तक	दैनिक	–
34	37	वृहत बाजार	नंदिनी रोड मार्केट,	पॉवर हाउस चौक से करूणा हॉस्पीटल तक	दैनिक	–

	वार्ड क्र.	व्यापार परिषद की अवस्थिति (मोहल्ला / कालोनी मे / छोटे और मध्यम आकार के बाजारों में / वृहत बाजारों में)	बाजार / हाट का नाम	लैण्डमार्क / स्थान / प्रमुख स्थल	बाजार का प्रकार (दैनिक / साप्ताहिक / विशेष)	रिमार्क
35	38	वृहत बाजार	आर.एस.एस. मार्केट	बस स्टैण्ड के पास	दैनिक (मंगलवार बंद)	
36	38	वृहत बाजार	शास्त्री मार्केट	नंदिनी रोड	दैनिक (रविवार बंद)	–
37	40	मोहल्ला	मंगल बाजार	मंगल बाजार	साप्ताह में दो बार	–
38	45	मोहल्ला	शुक्रवार बाजार	शुक्रवार	साप्ताहिक	–
39	48	कालोनी मे	क्रांति मार्केट	भगत सिंह चौक	दैनिक	–
40	48	कालोनी मे	नेताजी मार्केट	शिव मंदिर के पास	दैनिक	–
41	49	कालोनी मे	मछली मार्केट	काली मंदिर	दैनिक	–
42	49	कालोनी मे	सुभाष मार्केट	सुभाष चौक कन्या विद्यालय	दैनिक	–
43	51	कालोनी मे	पं दीनदयाल मार्केट	खुर्सीपार गेट	दैनिक	–
44	52	वृहत बाजार	सेक्टर–01 ए मार्केट	संजय सायकल स्टोर्स के पास	दैनिक	–
45	53	वृहत बाजार	सेक्टर–01 सी मार्केट	सुजाता टेंट हाउस सड़क नं. 4	दैनिक	–
46	54	वृहत बाजार	सेक्टर–02 ए मार्केट	महिला बैंक के पास	दैनिक	–
47	55	वृहत बाजार	सेक्टर–02 बी मार्केट	एवेन्यू सी मार्ग	दैनिक	–
48	57	वृहत बाजार	सेक्टर–04 मार्केट	बोरिया मार्केट	साप्ताहिक	बुधवार
49	60	वृहत बाजार	सेक्टर –5 मार्केट	सेक्टर –5 गणेश मंदिर के पास	दैनिक	–
50	62	वृहत बाजार	सेक्टर –6, ए मार्केट	लाईवलीहुड कालेज	दैनिक	–
51	63	वृहत बाजार	सेक्टर –6, बी मार्केट	एमजीएम स्कूल के पास	दैनिक	–
52	62	वृहत बाजार	सेक्टर –6, सी मार्केट	साई मंदिर सेक्टर –6	दैनिक	–
53	61	वृहत बाजार	सेक्टर –6, डी मार्केट	चर्च के पास सेक्टर –6	दैनिक	–
54	63	वृहत बाजार	सेक्टर –6, ई मार्केट	बीएसपी हास्टिल के सामने सेक्टर –6	दैनिक	–
55	62	वृहत बाजार	सेक्टर –6, एफ मार्केट	साई मंदिर सेक्टर –6	दैनिक	–
56	68	वृहत बाजार	सेक्टर –8 गोल मार्केट	सेक्टर –8	दैनिक	–

क्र.	वार्ड क्र.	व्यापार परिषद की अवस्थिति (मोहल्ला / कालोनी मे / छोटे और मध्यम आकार के बाजारों में / वृहत बाजारों में)	बाजार / हाट का नाम	लैण्डमार्क / स्थान /प्रमुख स्थल	बाजार का प्रकार (दैनिक / साप्ताहिक / विशेष)	रि
57	69	वृहत बाजार	सेक्टर –9 मार्केट	सेक्टर –9 हास्पिटल के पीछे	दैनिक	–
58	65	वृहत बाजार	सेक्टर –10 जोनल मार्केट	उत्कल स्वीट्स के पास	दैनिक	–
59	64	वृहत बाजार	सिविक सेंटर मार्केट	अर्जुन रथ के पास	दैनिक	–
60	64	वृहत बाजार	न्यू सिविक सेंटर मार्केट	कला मंदिर के पास	दैनिक	–
61	66	वृहत बाजार	सेक्टर–07 मार्केट	सिकंदर चौक दशहरा मैंदान	साप्ताहिक	गुरुवार
62	70	वृहत बाजार	मंगल मार्केट	मंगल मार्केट हुडको	साप्ताहिक	मंगलवार
63	70	छोटे और मध्यम आकार	बी.मार्केट	मिलन चौक हुडको	दैनिक	–
64	70	कालोनी में	ए. मार्केट	श्रीराम चौक हुडको	दैनिक	–

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 847] नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 नवम्बर 2025 — कार्तिक 16, शक 1947

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 7 नवम्बर 2025

अधिसूचना

क्र. RULE -801/202/2025-UAD.— छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 132 की उप-धारा (6) के खण्ड (ग) सहपठित धारा 433 तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 127 की उप-धारा (6) के खण्ड (ग) सहपठित धारा 355 तथा 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर कोई व्यापार करने के विनियमन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ. - (1) ये नियम छत्तीसगढ़ नगरपालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नियम, 2025 कहलाएगा।

(2) इन नियमों का विस्तार नगरपालिक निगमों, नगरपालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों की अधिकारिता के अधीन सम्पूर्ण क्षेत्र पर होगा।

(3) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है, यथास्थिति, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961);

(ख) **"आवेदक"** से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति, संस्था अथवा कंपनी या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई प्रतिनिधि, जो व्यापार करने के लिए अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन करता है;

(ग) **"आयुक्त"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 5 की उप-धारा (11) में यथा परिभाषित नगरपालिक निगम का आयुक्त ;

(घ)"**मुख्य नगरपालिका अधिकारी**" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 3 की उप-धारा (5) में यथा परिभाषित नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत का मुख्य नगर पालिका अधिकारी;

(ङ.) "**सक्षम प्राधिकारी**" से अभिप्रेत है, नगर पालिक निगम की अधिकारिता के अधीन आने वाले किसी क्षेत्र की दशा में, निगम आयुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी तथा नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत, यथास्थिति की अधिकारिता के भीतर आने वाले किसी क्षेत्र की दशा में, मुख्य नगर पालिका अधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी;

(च) "**प्ररुप**" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

(छ) "**अनुज्ञप्तिधारी**" से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति, जिसे इन नियमों के अधीन कोई व्यापार करने हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है;

(ज)"**नगरपालिका**" से अभिप्रेत है, यथास्थिति, नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत;

(झ) "**व्यक्ति**" से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति या अविभक्त हिन्दू परिवार या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन निगमित कोई कंपनी या भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) अथवा सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2006 का 6) के अधीन निगमित कोई फर्म या व्यक्तियों का संघ अथवा व्यक्तियों का निकाय, चाहे वह निगमित हो अथवा नहीं या सहकारी सोसायटी से संबंधित किसी विधि के अधीन पंजीकृत कोई सहकारी सोसायटी अथवा कोई ऐसा संगठन, जिसे समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त निर्दिष्ट करे;

(ञ) "**व्यापार परिसर**" से अभिप्रेत है, किसी व्यापार को करने के लिए उपयोग किये जा रहे या उपयोग किए जाने के लिए आशयित कोई परिसर।

(2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हैं, किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं, वही अर्थ होंगे, जो सामान्य या विशिष्ट रूप से अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित किए गए हैं।

3. **विधिमान्य अनुज्ञप्ति के बिना व्यापार का ना किया जाना.-** किसी भी व्यक्ति को, संबंधित नगरपालिका से व्यापार अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना, नगरपालिका की सीमा के भीतर, कोई व्यापार करने के लिए अनुमति नहीं दी जायेगी।

4. **व्यापार अनुज्ञप्ति का प्रदान किया जाना.-** इन नियमों के उपबंधों के अधीन, नगर पालिका क्षेत्र के भीतर, कोई भी व्यापार करने का इच्छुक और हकदार होने वाला कोई भी व्यक्ति, निर्धारित प्ररूप 'क' में विवरण/दस्तावेजों के साथ सक्षम प्राधिकारी को व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन करेगा। अनुज्ञप्ति, इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप 'ख' में संबंधित नगरपालिका द्वारा प्रदान की जाएगी।

इन नियमों के अधीन, आवेदन यदि अन्यथा अस्वीकार नहीं किया जाता है, तो प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर कोई निर्णय नहीं लिए जाने की दशा में, अनुज्ञप्ति प्रदान की गयी समझी जाएगी :

परन्तु सक्षम प्राधिकारी, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, आवेदित अनुज्ञप्ति देने से इन्कार कर सकेगा :

परन्तु यह और कि, इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व विधिमान्य अनुज्ञप्ति के बिना नगरपालिका की सीमाओं के भीतर कोई व्यापार करने वाला कोई भी व्यक्ति, इन नियमों के प्रारम्भ होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर, अनुज्ञप्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करेगा।

5. **व्यापार अनुज्ञप्ति शुल्क.-** (1) प्रत्येक नगरपालिका, स्थानीय परिस्थिति पर निर्भर करते हुए सड़क की चौड़ाई या स्थान, जहाँ व्यापार परिसर स्थित है, के आधार पर, उन क्षेत्रों को वर्गीकृत करेगी, जिनमें व्यापार किया जा रहा है तथा निम्नलिखित तालिकाओं में यथा विहित अनुज्ञप्ति शुल्क निर्धारित करेगी:-

(क) भवन तथा खुले स्थान.

तालिका-एक

सड़क की चौड़ाई पर आधारित न्यूनतम वार्षिक व्यापार अनुज्ञप्ति शुल्क.-

सड़क की चौड़ाई	न्यूनतम व्यापार अनुज्ञप्ति शुल्क (रुपए प्रति वर्ग फुट/प्रति वर्ष)		
	नगरपालिक निगम	नगरपालिका परिषद्	नगर पंचायत
7.5 मीटर से कम	4	3	2
7.5 मीटर से 15 मीटर तक	5	4	3
15 मीटर से अधिक	6	5	4

तालिका-दो

व्यापार परिसर की अवस्थिति पर आधारित न्यूनतम वार्षिक व्यापार अनुज्ञप्ति शुल्क.-

व्यापार परिसर की अवस्थिति	न्यूनतम व्यापार अनुज्ञप्ति शुल्क (रुपए प्रति वर्ग फुट/प्रति वर्ष)		
	नगरपालिक निगम	नगरपालिका परिषद्	नगर पंचायत
मोहल्ला/कालोनी में	4	3	2
छोटे और मध्यम आकार के बाजारों में	5	4	3
वृहद् बाजारों में	6	5	4

टीप (1)– तालिका-दो के आधार पर दरों के निर्धारण हेतु, नगर पालिका का यह दायित्व होगा कि इस नियम के प्रावधानों के लागू होने के15 दिवस के भीतर मोहल्ला/कालोनी के बाजार/छोटे और मध्यम आकार के बाजार/वृहद् बाजार की सूची का प्रकाशन करें। नगर पालिका का यह भी दायित्व होगा कि वह समय-समय पर नवीन बाजारों का निर्धारण करें।

(2)-निकाय में स्थित, ऐसे समस्त व्यावसायिक परिसर, जो इन बाजारों में अवस्थित ना हो, के संबंध में, तालिका-एक की दरें अवधारित की जायेंगी.

परन्तु वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क की अधिकतम राशि-

(क) नगरपालिक निगम की दशा में - ₹ 30,000 (तीस हजार)
(ख) नगरपालिका परिषद की दशा में - ₹ 20,000 (बीस हजार)
(ग) नगर पंचायत की दशा में - ₹ 10,000 (दस हजार)
से अधिक नहीं होगी।

(ख) गुमटी/कच्ची दुकानों के लिए न्यूनतम वार्षिक व्यापार अनुज्ञप्ति शुल्क –

व्यापार परिसर का प्रकार	न्यूनतम व्यापार अनुज्ञप्ति शुल्क (रुपए /प्रति वर्ष)		
	नगरपालिक निगम	नगरपालिका परिषद्	नगर पंचायत
गुमटी/कच्ची दुकान	250	150	100

(ग) वाहनों के माध्यम से किए जाने वाले व्यापार के लिए न्यूनतम व्यापार अनुज्ञप्ति शुल्क.-

वाहन का प्रकार	न्यूनतम व्यापार अनुज्ञप्ति शुल्क (रुपए प्रतिवाहन / प्रति वर्ष)		
	नगरपालिक निगम	नगरपालिका परिषद्	नगर पंचायत
मोटरयान (मिनी ट्रक/पिकअप वेन/जीप इत्यादि)	400	300	200
ऑटो रिक्शा/तिपहिया वाहन इत्यादि	250	200	150

टीप :-व्यापार अनुज्ञप्ति प्राप्त कोई भी वाहन यह सुनिश्चित करेगा कि यातायात को कोई अवरोध न हो। यदि ऐसे वाहन द्वारा यातायात में कोई अवरोध कारित किया जाता है, तो अनुज्ञप्ति निरस्त कर दी जाएगी:

परन्तु नगरपालिका, उस क्षेत्र की व्यावसायिक सम्भावनाओं का आंकलन करके, जहाँ कि व्यापार परिसर स्थित है, उपरोक्त तालिकाओं में विहित शुल्क की तुलना में उच्चतर दर पर व्यापार अनुज्ञप्ति शुल्क नियत कर सकेगी:

परन्तु यह और कि आगामी वित्तीय वर्षों में, नियम 5 के अधीन अधिरोपित व्यापार अनुज्ञप्ति शुल्क, प्रत्येक 2 वर्ष में न्यूनतम 5% बढ़ाया जाएगा।

6. व्यापार अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान.- व्यापार अनुज्ञप्ति शुल्क, यथास्थिति, अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाते समय या नवीनीकरण के समय, अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की पूरी अवधि के लिए अग्रिम रूप से देय होगा।

7. अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता अवधि. - इन नियमों के अधीन प्रदान की गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति, यदि वह इन नियमों के किन्हीं भी उपबंधों के उल्लंघन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्यथा निलंबित या रद्द ना की जाए तो अधिकतम 10 वर्ष की कालावधि के लिए विधिमान्य होगी।

आवेदक द्वारा 02 वर्ष से 10 वर्ष के मध्य अवधि का चयन किया जा सकेगा, तथापि, आवेदक को चयनित अवधि के लिए विहित शुल्क आवेदन के साथ देना होगा।

8. नवीनीकरण. - (1) नवीनीकरण के लिए आवेदन, विद्यमान विधिमान्य अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख से कम से कम 1 माह पूर्व, यथा विहित अनुज्ञप्ति शुल्क के भुगतान के साथ किया जाएगा। व्यापार अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक होंगे-

(क) मूल अनुज्ञप्ति की प्रति;
(ख) नगरपालिका को देय शुल्क के अद्यतन भुगतान का प्रमाण।

अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण, यदि आवेदन अन्यथा अस्वीकार न किया जाए, तो आवेदन की प्राप्ति से 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। यदि सक्षम प्राधिकारी, 15 दिनों के भीतर कोई निर्णय नहीं लेता है, तो अनुज्ञप्ति नवीनीकृत हुई समझी जाएगी।

(2) यदि अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति के समाप्त होने के छह माह के भीतर अनुज्ञप्ति नवीनीकरण के लिए आवेदन करता है, तो अनुज्ञप्ति शुल्क के 15% की दर से शास्ति अधिरोपित की जाएगी। यदि अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति की समाप्ति से 6 माह की अवधि के पश्चात् अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के

लिए आवेदन करता है, तो उस पर पूर्व स अधिरोपित शास्ति के अतिरिक्त, विलंब की अवधि के लिए ₹10 प्रतिदिन की दर से शास्ति अधिरोपित की जायेगी।।

(3) यदि अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति की समाप्ति के 1 वर्ष के भीतर अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने में असफल रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी, व्यापार अनुज्ञप्ति को निरस्त करने तथा व्यापार परिसर को सील करने के लिए प्राधिकृत होगा।

9. **व्यापार अनुज्ञप्ति के उपयोग के लिए शर्तें.-** (1) अनुज्ञप्ति की एक प्रति, अनुज्ञप्त परिसर में सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित की जानी चाहिए।

(2) केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकार/ जिला प्रशासन/ नगर पालिका द्वारा समय-समय पर जारी सभी आदेशों/निर्देशों का कठोरता से अनुपालन किया जायेगा ।

(3) अनुज्ञप्त परिसर के सामने फुटपाथ या सार्वजनिक सड़क पर कोई अवरोध अथवा अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। अनुज्ञप्त परिसर के सामने किसी तरह की होर्डिंग/विज्ञापन/अवैध पार्किंग की अनुमति नहीं होगी।

(4) अनुज्ञप्तिधारी, धुएं, गैस, वाष्प, धूल, गंध, शोर या अन्य ऐसी अशुद्धियों द्वारा उत्पन्न होने वाले अपदूषण (न्यूसेंस) की रोकथाम के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा अपेक्षित उपायों को अपनाएगा।

10. **जमा की जाने वाली शास्ति की राशि.-** अनुज्ञप्तिधारी, शास्ति की राशि को संबंधित नगरपालिका के कार्यालय में अथवा नगरपालिका के ऑनलाइन भुगतान पोर्टल के माध्यम से जमा करेगा।

11. **सक्षम प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील.-** यदि अनुज्ञप्तिधारी, सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित है, तो वह-

(क) नगरपालिक निगम की दशा में, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 403 की उप-धारा (4) के अधीन अपील, समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा;

(ख) नगरपालिका परिषद की दशा में, छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 307 के अधीन अपील, समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा; अथवा

(ग) नगर पंचायत की दशा में, छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 308 के खण्ड के अधीन कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत करेगा।

12. एक निर्धारित परिसर के लिए अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता.- एक अनुज्ञप्ति, केवल अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट परिसरऔर उस व्यवसाय के लिए विधिमान्य होगी, जिसके लिए इसे जारी किया गया है तथा यदि अनुज्ञप्तिधारी, विद्यमान परिसर को छोड़ना चाहता है अथवा व्यवसाय में परिवर्तन करना चाहता है, तो वह नवीन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करेगा।

13. परिसर को खाली करना.- यदि अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति की अवधि के दौरान परिसर को खाली करता है या कब्जा छोड़ देता है, तो वह तत्काल सक्षम प्राधिकारी को इस विषय में सूचित करेगा।

14. गैर-हस्तांतरणीयता.- (1) परिसर के परिवर्तन या व्यापार के परिवर्तन की दशा में अनुज्ञप्ति हस्तांतरणीय नहीं है।

(2) जहाँ व्यापार या परिसर में, जिससे अनुज्ञप्ति संबंधित है, की प्रकृति में यदि कोई परिवर्तन नहीं होता है, और अनुज्ञप्तिधारी उक्त अनुज्ञप्ति को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करना चाहता है, तो वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क के 10% शुल्क सहित आवेदन सक्षम प्राधिकारी को करने पर, अनुज्ञप्ति का अंतरण किया जा सकेगा।

15. शास्तियाँ.-(1) सक्षम प्राधिकारी, किसी भी समय किसी अनुज्ञप्तिधारी के परिसर का निरीक्षण कर सकेगा और यदि इन नियमों के किसी उपबंध के उल्लंघन का पता चलता है, तो वह अनुज्ञप्तिधारी को किसी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए नोटिस जारी कर सकेगा। यदि, अनुज्ञप्तिधारी नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उसमें दिए गए निर्देशों का युक्तियुक्त समाधान नहीं करता है, तो सक्षम प्राधिकारी, कोई शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क का 50% होगी अथवा अनुज्ञप्ति रद्द कर सकेगा।

(2) कोई परिसर, जिसमें विधिमान्य अनुज्ञप्ति के बिना, कोई व्यापार किया जाना पाया जाए, उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा सील किया जाएगा तथा समान प्रकार और समान रूप से स्थित व्यापार के लिए लागू वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क के दोगुने के समतुल्य शास्ति अधिरोपित की जाएगी।

16. **निपटान.**-नगरपालिका के समक्ष लंबित मामलों को वापस लेने अथवा विवादों के निपटान की शक्तियाँ, सक्षम प्राधिकारी में निहित होंगी।

17. **सरकारी कार्यालय को लागू नहीं.**- ये नियम, सरकारी कार्यालयों, सरकारी स्वशासी निकायों, जिनमें कोई व्यापार नहीं किया जाता है, को लागू नहीं होंगे।

प्ररूप- क

(नियम 4 देखिए)

छत्तीसगढ़ नगरपालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नियम, 2025 के अधीन अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र का प्ररूप

1.	बड़े अक्षरों में, आवेदक का पूरा नाम, (यदि आवेदक स्वामी नहीं है, तो व्यापार/व्यवसाय/कार्यालय के स्वामी द्वारा प्राधिकार पत्र संलग्न करें)	पहचान पत्र संलग्न करें
2.	दुकान/व्यवसाय/कार्यालय प्रारंभ दिनांक	
3.	जिले का नाम	
4.	नगरीय निकाय का नाम	
5.	पत्राचार का पता	
6.	दुकान/व्यवसाय/कार्यालय इत्यादि का नाम	
7.	व्यापार/व्यवसाय परिसर का पता	
8.	व्यापार/व्यवसाय का विवरण	
9.	दूरभाष क्रमांक	
10.	ई-मेल पता	
11.	क्या आवेदक परिसर का स्वामी है (यदि नहीं, तो स्वामी से संबंधित आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें)	प्रमाणित दस्तावेज संलग्न करें
12.	दुकान/कार्यालय/स्थापना का प्रकार (रेस्टोरेंट/डेली नीड्स /राशन /इलेक्ट्रिसिटी / इत्यादि) कृपया जानकारी दर्ज करें	
13.	व्यापार/व्यवसाय परिसर का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	

14.	क्या अन्य प्राधिकारी, अर्थात् आबकारी विभाग, पर्यटन विभाग, लोक स्वास्थ्य विभाग, पीसीबी आदि द्वारा व्यापार/व्यवसाय चलाने के लिए अनुज्ञप्ति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान दिया गया है (जहाँ भी लागू हो)	

मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी, मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम - ....

दूरभाष नं. ....

प्ररूप- ख
(नियम 4 देखिए)
छत्तीसगढ़ नगरपालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नियम, 2025 के अधीन पंजीयन तथा उपयोग की अनुज्ञप्ति
नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद् /नगर पंचायत..................

सरल क्र.................

दिनांक ------------------

श्री............................ (अनुज्ञप्तिधारी का नाम) को, नगरपालिक निगम/ नगरपालिका परिषद्/ नगर पंचायत............................ के क्षेत्र में वार्ड क्र. .... के परिसर .... (परिसर का नाम) का .... व्यवसाय का संचालन करने के प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नगरपालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नियम, 2025 के अनुसार रू .... प्रति वर्ष शुल्क का भुगतान किये जाने पर यह अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है। अनुज्ञप्तिधारी इन नियमों में दी गई सभी शर्तों का अनुसरण करेगा एवं उन्हें पूरा करेगा। यह अनुज्ञप्ति किसी नगरपालिका प्राधिकारी को मांगे जाने पर निरीक्षण हेतु प्रस्तुत की जाएगी।

अनुज्ञप्ति (दिनांक).....................................तथा नियमानुसार इसका नवीनीकरण किए जाने तक विधिमान्य है।

(सक्षम प्राधिकारी)
नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/
नगर पंचायत
हस्ताक्षर सहित सील

अनुज्ञप्ति की शर्ते- (1) अनुज्ञप्ति शुल्क गैर-वापसी योग्य है और यह केवल परिसर और अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट व्यापार के लिए विधिमान्य है। इसे परिसर के किसी सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(2) यह अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्तिधारी को तत्समय प्रवृत्त विधि के किन्हीं अन्य उपबंधों से उद्भूत दायित्वों से मुक्त नहीं करती है।

(3) अनुज्ञप्तिधारी, नियमों में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुसरण करेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, उप–सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 7 नवम्बर 2025

क्र. RULE -801/202/2025-UAD.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7–11–2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, उप–सचिव.